

प्रथम अपील संख्या 33/2021

नवीन कुमार, जोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, सुलताना, मो0न0 6376219391

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 09.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 33/2021 पर दिनांक 24.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/833-834 दिनांक 24.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आर.टी.आई./2021/03 दिनांक 05.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी नवीन कुमार निवासी जोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने खसरा नं0 1388 व 1389 के संबंध में सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/242 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा कार्यालय से रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई लेकिन पता गलत होने के कारण डाकघर से पत्र वापस लौटा दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आर.टी.आई./2021/03 दिनांक 05.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी नवीन कुमार निवासी जोडिया रोड, बस स्टेण्ड के पास, सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने खसरा नं0 1388 व 1389 के संबंध में सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/242 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा कार्यालय से रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई लेकिन पता गलत होने के कारण डाकघर से पत्र वापस लौटा दिया गया। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू